परिषद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एकमुश्त समूह में फ्लैट्स पाने का

सुनहरा अवसर

आवेदन दिनांक
05.07.2021
से
05.08.2021
तक

25 से 49 फ्लैट्स के आवेदन पर 15% की छूट

50 से अधिक फ्लैट्स के आवेदन पर 25% की छूट

* नियम व शर्तें लागू।

आवेदन हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय से सम्पर्क करें।

- सभी आवेदकों को कुल मूल्य का एकमुश्त भुगतान प्रदेशन पत्र निर्गत की तिथि से 60 दिवसों के अन्दर करना होगा।
- उपरोक्त छूट आवंटन के समय प्रचलित मूल्य पर देय होगी।
- सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं, निगम, निकाय एवं उपक्रम से संबंधित संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

उक्त से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट **www.upavp.in** पर उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

वेबसाइट: http://www.upavp.in ई–मेल: info@upavp.com

सेवोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

परिषद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एकमुश्त समूह में फ्लैट पाने से सम्बन्धित नियम व शर्तें।

1. समूह में आवेदन किये जाने पर दी जाने वाली छूट निम्न तालिकानुसार देय होगी :–

स्लैब की श्रेणी (आवेदकों की संख्या)	छूट का प्रतिशत
25–49	15 प्रतिशत
50 से ऊपर	25 प्रतिशत

2. किसी भी दशा में फ्लैट का विक्रय मूल्य मूल मूल्यांकन से कम नही होगा, जब योजना शुरू की गयी थी।

3. सभी आवेदकों को कुल मूल्य का एकमुश्त भुगतान प्रदेशनपत्र निर्गत की तिथि से 60 दिवसों के अन्दर करना होगा। उपरोक्त छूट आवेदन के समय प्रचलित मूल्य पर देय होगी।

4. यदि कुछ आवेदकों द्वारा समूह में आवेदन करने के उपरान्त अपना प्रार्थना–पत्र वापस ले लिया जाता है और निर्धारित समूह में संख्या कम हो जाती है और निर्धारित ग्रुप में नहीं आते हैं, तो समूह जिस ग्रुप में आयेगा, उस पर देय छूट लागू होगी तथा इनकार करने वाले आवेदकों की सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी अर्थात् यदि किसी समूह द्वारा 50 से ऊपर आवेदन किया गया है और बाद में कुछ आवेदकों द्वार फ्लैट लेने से इनकार किया जाता है और वह समूह 25 से 49 के अन्दर आता है तो इनकार करने वाले आवेदकों की सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष आवेदकों को 25 से 49 में प्रदान की जाने वाली छूट दी जायेगी।

5. आवेदकों को फ्लैट के कुल मूल्य की प्रस्तावित छूट के उपरान्त 15 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण शुल्क के रूप में देय होगी।

6. समूह में आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर परिषद की पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम की शर्तें लागू होंगी।

7. उक्त ग्रुप में आने वाले आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य कोई छूट प्रदान नही की जायेगी।

8. पायलेट पॉलिसी में छूट की अधिकतम सीमा किसी भी दशा में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।